भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1866
जिसका उत्तर गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी मामले

1866. #श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश के जिला न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार न्यायपालिका के स्तर पर विचाराधीन दीवानी और आपराधिक मामलों को निश्चित समय-सीमा में निपटाने की पहल करने पर विचार कर रही है ताकि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का निपटान हो सके ; और

(ग) क्या सरकार ने न्यायालयों में मामलों की बढती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश की जिला न्यायालयों में लंबित सिविल मामलों का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान, उनके अधिकार क्षेत्र में मुकदमेबाजी केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली के लिए दृष्टिकोण अपनाकर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

जहां तक निश्चित समय सीमा में मामलों के निपटान का संबंध है, संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के

साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य कदम उठाए गए हैं जो निम्नप्रकार हैं:

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9291.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.11.2022 को 21,159 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.11.2022 को 18,557 हो गई है। इसके अतिरिक्त, (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) 2,673 न्यायालय हॉल और 1,662 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ जिसमें से केन्द्र की हिस्सेदारी 5307 करोड़ रुपए है 2025-26 तक विस्तारित की गई है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों का निर्माण, इसमें वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.12.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 21.74 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 19.80 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने ,जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न

न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,65,20,791 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 31.10.2022 तक 7580347 मामलों (कुल 2.41 करोड़) की सुनवाई की। 03.09.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,97,435 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 05.12.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 853 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 621 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
16.12.2022	25,017	19,192

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। न्याय विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और

निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त,केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2022 तक 53.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 731 एफटीएससी कार्यरत हैं, 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालय हैं, जिन्होंने 31.10.2022 तक 1,24,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

(viii) लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए और मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर विवादों को निपटाने के लिए, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतराल पर लोक न्यायालयों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। तथापि, एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लोक न्यायालयों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक

अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

(ix) सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें वीडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलीफोन के माध्यम से और ग्रामपंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं के द्वारा पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म प्रदान करता हैं।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	8,62,464	31.51%
अनुसूचित जनजाति	4,90,729	17.93%
अन्य पिछडा वर्ग	7,94,986	29.04%
महिला	9,19,389	33.59%
सामान्य	5,88,932	21.52%
30 नवंबर, 2022 तक		

(x) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं ।

अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

****

उपाबंध -1

'जिला न्यायालयों में लंबित दीवानी मामले' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 जिसका उत्तर तारीख 22.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2018 से 2022 तक लम्बित सिविल मामलों का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामलों की कुल संख्या (सिविल)				
		2018*	**2019***	**2020***	**2021***	**2022****
1	उत्तर प्रदेश	1656944	1714208	1805336	1850739	1670274
2	आंध्र प्रदेश		311798	351110	414077	415444
3	तेलंगाना	529427	246280	281547	322417	327638
4	महाराष्ट्र	1185586	1236874	1363965	1478744	1542796
5	गोवा	21499	21993	24332	25820	25603
6	दीव और दमण					1411
7	सिल्वासा	2571	2581	2955	3140	1892
8	पश्चिमी बंगाल	493021	505168	546955	600575	606777
9	अंदमान निकोबार	3769	3841	4207	4476	4418
10	छत्तीसगढ़	55924	59642	62912	72062	77563
11	दिल्ली	187733	197432	216127	249500	251891
12	गुजरात	466855	425827	460382	455312	436650
13	असम	67993	71550	80793	87179	92704
14	नागालैंड	2379	1302	1581	1780	1573
15	मेघालय	3157	3196	3502	3705	3609
16	मणिपुर	3417	3932	4309	5257	4889
17	त्रिपुरा	8971	8785	10776	11271	11317
18	मिजोरम	3021	2624	2586	2648	2792
19	अरुणाचल प्रदेश	1921	1898	2228	2450	2743
20	हिमाचल प्रदेश	116269	123264	146485	157703	160134
21	जम्मू और कश्मीर	55965	59151	69083	75211	77329
22	झारखंड	61991	67779	77312	88696	87650
23	कर्नाटक	726513	744463	820004	848853	891724
24	केरल	421358	432085	512392	543434	542413
25	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	133	156	144	169	165
26	मध्य प्रदेश	309147	312221	337383	359364	364164
27	तमिलनाडु	616179	648084	717710	757473	761467
28	पुदुचेरी	12633	14185	15818	14298	13591
29	ओडिशा	305621	313318	342356	362945	360986
30	बिहार	366915	386715	417183	464456	489861
31	पंजाब	256779	273721	349193	393846	405565
32	हरियाणा	277973	308603	384167	429831	451678
33	चंडीगढ़	17203	18209	21009	22976	23353
34	राजस्थान	469742	439357	483330	518923	535685
35	सिक्किम	387	341	466	499	533
36	उत्तराखंड	34038	31414	35548	36474	37887
	कुल	**8743034**	**8991997**	**9955186**	**10666303**	**10686169**

स्रोत:- भारत का उच्चतम न्यायालय

* संबंधित वर्ष के अंत के 31 दिसंबर तक।

** 30.09.2022 तक

****